सं0-2/2025/52-3-2013-सा(2)/2012

प्रेषक,

देवेश चतुर्वेदी
सचिव
उ0प्र0 □□□□

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण
□0प्र0 □□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, □□□□: दिनांक 05 दिसम्बर,2013

विषयः-अल्पसंख्यक समुदाय के अन्तर्गत अधिकतम रू0 36,000/- वार्षिक आय □□□ अभिभावकों की कक्षा 10 पास पुत्री को आगे की शिक्षा ग्रहण करने अथवा विवाह हेतु रु0 30,000/- का अनुदान प्रदान किये जाने के संबंध में।

□□□□,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0-1326/52-3-2013-□□(2)/2012, दिनां□ 14-8-2012 □□□□□□ □0-3240 /52-3-2013-□□(2)/2012, दिनांक 11-10-2012 के अनुक्रम में तथा आपके पत्र सं0-2792/□0□0□0नि0/□0□0□0□0/2013-14 दिनां□ 9-10-2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयांकित योजना का लाभ कक्षा 10 पास अधिक से अधिक छात्राओं को अनुमन्य कराये जाने के उददेश्य से तथा योजना के सफलता पूर्वक एवं पारदर्शी क्रियान्वयन हेतु □□□ द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उपरोक्त शासनादेश सं0-1326 /52-3-2013-□□(2)/2012, दिनांक 14-8-2012 में आंशिक संशोधन करते हुये निम्नांकित व्यवस्था प्रतिस्थापित की जाती हैः-

(1) **अल्पसंख्यक समुदाय के अन्तर्गत ऐसे अभिभावकों जिनकी वार्षिक आय रू0 36,000/- □□ □□की पुत्री जिसके द्वारा उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, □0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा उ0प्र0 संस्कृत शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी शिक्षण संस्था से कक्षा 10 व उस□□ समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, को आगे की शिक्षा ग्रहण करने**

http://sfcsanadesh.up.nic.in

अथवा विवाह हेतु प्रदान की जाने वाली धनराशि रू0 30,000/- □□ स्थान पर शैक्षिक सत्र 2013-14 □□10 रू0 20,000/- (रू0 □□ □□□ मात्र) की धनराशि प्रदान की जायेगी।

(2) इस योजनान्तर्गत उन्ही बालिकाओं को लाभान्वित किया जायेगा जिन्होने वर्ष 2012-13 में हाईस्कूल व उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर वर्ष 2013-14 में कक्षा 11 में प्रवेश लिया हो।

(3) उक्त लाभ केवल प्रथमबार वर्ष 2012-13 में हाईस्कूल व उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को ही अनुमन्य होगा। इसके पूर्व ऐसी कोई परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली छात्रायें पात्र नही □□□□

(4) बालिकाओं को आगे की शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के लिए एक ही परिवार की एक से अधिक पुत्रियों को यदि वे पात्रता परिधि में आती हैं, तो □□□ □□□-पृथक लाभ अनुमन्य कराया जायेगा।

(5) सर्वप्रथम उपलब्ध बजट से अविवाहित बालिकाओं को योजना से लाभान्वित किया जायेगा।

(6) बिन्दु-2, 3, 5 के संबंध में अभ्यर्थी द्वारा रू0 10/- के स्टाम्प पेपर पर निम्नंकित घ□□□यें प्रस्तुत करनी हो□□ :-

□- □□□□द्वारा वर्ष 2012-13 में हाईस्कूल व उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर वर्ष 2013-14 में कक्षा 11 में प्रवेश लिया है।

□- वर्ष 2012-13 के पूर्व उसके द्वारा हाईस्कूल व उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण नही की गयी है ।

□- अविवाहित/ विवाहित/□□□□□□/पति की मृत्यु हो चुकी है, के संबंध में जैसी भी स्थिति हो स्पष्ट किया जायेग□□

उक्त सूचना गलत पाये जाने पर संबंधित अभ्यर्थी से धनराशि की वसूली की जायेगी तथा उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी

http://shasanadesh.up.nic.in

2- योजना में तदनुसार किये जा रहे संशोधन/परिवर्धन को दृष्टिगत रखते हुये □□□□ द्वारा निम्नांकित समय सारिणी के अनुरूप अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की □□□□□-

क्रमांक	जनपद स्तर पर कार्यवाही हेतु निर्धारित समय सारिणी एवं कार्ययोजना	कार्य	कार्यवाही हेतु निर्धारित अवधि
1	अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्त शासनादेश के प्रस्तर-1 (2) के अनुसार वांछित घोषणा पत्र प्र किया जाना।		16 दिसम्बर, 2013 □□
2	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा घोषणा पत्र की पुष्टि करते हुये अन्तिम रूप से पात्र पायी गयी छात्राओं की सूचना/संख्या निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0 □□ उपलब्ध कराया जाना।		23 दिसम्बर, 2013 □□
3	निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0 □□□□ द्वारा पात्र छात्राओं को धनराशि के भुगतान हेतु जनपदों को आवंटित किया जाना		31 दिसम्बर, 2013 □□
4	पात्र छात्राओं को मण्डल स्तरीय/जनपद स्तरीय समारोह आयोजित कर धनराशि उपलब □□□□ □□□□		01 जनवरी, 2014 □□ 15 जनवरी, 2014 □□

3- □□□□□ □0-1638/52-3-12-□□(2)/2012, दिनांक 10;9;2013 □□□ □□□□□ □0-1751/52-3-12-□□(2)/2012 दिनांक 01-10-2013 द्वारा □□□□ स्तर पर शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से आवेदन पत्र प्राप्त व□□□हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि त□ प्राप्त आवेदन पत्रों जिनके विवरण निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण □0प्र0 को उपलब्टध कराये जा चुकें हैं, पर ही विचार किया जायेगा। निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नही किया जायेगा।

4- □□□□□ □0-1326/52-3-12-□□(2)/12, दिनांक 14.8.2012 □□□□□ □□ संशोधित समझा जाय। उपरोक्त शासनादेश में निर्धारित शर्ते/प्रतिबन्ध यथावत् रहेगें।

http://shasanadesh.up.nic.in

कृपया उक्त आदेशो का कार्यान्वयन समयान्तर्गत सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(देवेश चतुर्वेदी)
सचिव

संख्या-2025(1)/52-3-2013 तददिन□□□

प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. □□□□□□□□, □0प्र0 □□□□□□□□
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. रजिस्ट्रार, □0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 □□□□□
8. सूचना निदेशक, □0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्त विवरण/सूचना तत्काल विभिन्न समाचार पत्रों एवं दूरदर्शन पर प्रकाशित कराया जाना सुनिश्चित करें।
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) □□□□□-11
10. नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
11. □□□ □□□□□-3, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश पाण्डेय)
उप सचिव।

http://upasanideshi.up.nic.in